हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.4.22 वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी स्थगन नहीं कराना चाहते। स्थगन प्रार्थी रद्द की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 11.5.22 को पेश हो। [initials]	
11.5.22 वकील प्रार्थी उप०। वास्ते बहस दिनांक 19.5.22 को पेश हो [initials]	
19-5-22 वकील प्रार्थी उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24-5-22 को पेश हो। [initials]	
24.5.22 वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी। वास्ते आदेश दिनांक 31.5.22 को पेश हो। [initials]	
31-5-22 वकील प्रार्थी उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 6-6-22 को पेश हो। [initials]	
06.6.22 वकील प्रार्थी श्री सम्पूर्ण सिंह एड. उप०। बहस मानपत्रावली सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंजी की जमाबंदी संवत 2070-73 के खाता सं. 159 कुल रकबा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रकबा 1.39 हे. खाता नं. 160 कुल खसरा 8 रकबा 1.24 हे, खाता नं. 392 कुल खसरा 5 रकबा 0.36 हे. बाके है, जिसमें शामिल खातेदार है। उक्त खातों के शामिल का नाम लड्डू पुत्र छीतरिया दर्ज रिकार्ड है। मृतक खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात मुताबिक आधार कार्ड, राशनकार्ड पेश खाते की जांच हेतु आज ऑनलाइन आवेदन का पटवारी-रिपोर्ट के साथ अवलोकन पुत्र छीतरिया लाल गुर्जर अंकित है। अतः उक्त खातों में लड्डू के स्थान पर इनके नोटेन उर्फ लड्डू दर्ज किया जावे। बहस सुनी गयी। पक्षों के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का जमाबंदी संवत 2070-73 ग्राम ... खाता नं. 159, 160, 392 के लड्डू लाल पुत्र छीतरिया

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
नाम दर्ज है। जिसे मात्र ब्रजमोहन उर्फ लड्डू शुद्ध किया जाना है। जो प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक खाते की पासबुक, आय निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र से सिद्ध होता है कि प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम ब्रजमोहन पुत्र बजरंग लाल गुर्जर नाम दर्ज है। इस तरह की नाईयत वेदरनाम शुद्धि की है। न्यायालय द्वारा की धारा 151 CPC में प्रावधित शक्तियां भी प्राप्त है। इसके समर्थन में ग्राम पंचायत संयुक्त ने पत्र प्रस्ताव पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पडी के लड्डू पुत्र बजरंग गुर्जर नामका कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रजमोहन पुत्र बजरंग गुर्जर का ही नाम गलती से राजस्व रिकॉर्ड में लड्डू दर्ज है। जिसे शुद्ध किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र अभिभाषक के कथन स्वीकार किया जावे। अतः तहसीलदार बौंली को निर्देश दिए जाते हैं कि वह ग्राम पडी की जमाबंदी संवत 2070-73 के खाता सं. 159, 160, 347 कुल किता 8 कुल रकबा कुल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कुल रकबा 1.39 है. खाता सं. 160 कुल किता 8 रकबा 1.24 है. खाता सं. 397 कुल किता 5 रकबा 0.36 है. मे एडू पुत्र बजरंगा के स्थान पर प्रार्थीगण उक्त एडू पुत्र बजरंगा मृतक इन्द्राज किया जावे। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेंगे। यह आदेश आज दिनांक 6.6.22 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित सहित उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]